


(15)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय खंडपीठ रीवा-  
बोर्ड ग्वालियर म०प्र०

२५.१५/-



R. 3085-11/14

मुन्जीलाल चौरसिया तनय शिवदयाल चौरसिया उम्र 53 साल निवासी संतोषी  
माता मन्दिर के पास बिरला रोड सतना तह० रघुराज नगर जिला सतना  
म०प्र०.....निगराकार

बनाम

- 1- लखन अग्रवाल तनय श्री अमृतलाल अग्रवाल उम्र 69 वर्ष पेशा व्यापार  
निवासी ग्राम कोलगवॉ तह० रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०.
- 2- म०प्र०शासन.....गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध राजस्व प्रकरण क्रमांक  
491/ए 12/96-97 आदेश दिनांक  
31-12-96 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार  
तह० रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०  
निगरानी अंतर्गत धारा 90 म०प्र० भूराजस्व  
संहिता 1959

आवेदन पत्र बावत् शीघ्र सुनवायी में लिये  
जाने निगरानी

क्रमांक 2463  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 25-8-74 साप्ताहिक

राजस्व मण्डल म प्र. ग्वालियर

सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी है कि-


- 1- यह कि उक्त निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है  
जिसे अतिशीघ्र सुनवाई में लिये जाना अति आवश्यक है।
- 2- यह कि गैरनिगराकार अवैधानिक आदेश के आधार पर निगराकार को  
लम्बे समय के बाद बेदखल करने के प्रयास में है यदि वह अपने मसुबो में  
सफल हो गया तो निगराकार को अपूर्तनिय क्षति कारित होगी जिसकी  
भरपायी किये जाना असंभव होगा क्योंकि निगराकार का मकान लगे हुये  
आराजी नजूल की है और नजूल के बाद सड़क है इस बहुमूल्य आराजियात

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3085-II/14

जिला-सतना

मुन्नीलाल चौरसिया / लखन अग्रवाल

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M